अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर./ 2015–16 जयपुर, दिनांक 07.01.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
समस्त राजस्थान।

विषयः–दिनांक 11.01.2016 को प्रस्तावित समीक्षात्मक बैठक में जीकेएन व बीएसआर से सम्बधित एजेंडा बिन्दुओ पर समीक्षा बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2 (3) ग्रावि/अनु–5/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015–16 जयपुर, दिनांक 05.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि शासन सचिव महोदय ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 11.01.2016 को विभाग की समस्त योजनाओ की माह दिसम्बर 2015 तक की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जा रही है जिसमे साफटवेयर के माध्यम से दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने आदि के सम्बध में भी समीक्षा की जावेगी बीएसआर से सम्बधित मुख्य एजेडा बिन्दु निम्नानुसार है :

1. पंचायत समिति स्तरीय दर सर्वेक्षण एव प्रस्तावक समिति में एक एक सरंपच वह ग्राम सेवक का मनोनयन (प्रत्र दिनांक 09.11.2015)
2. वर्ष 2016–17 की पंचायत समिति स्तरीय दर अनुसूची तैयार करना (प्रत्र दिनांक 09.10.2015)
3. ग्राम पंचायत स्तर पर निविदाओ (टेंडर) का निर्धारण करना (प्रत्र दिनांक 09.10.2015)
4. दर अनुसूची (बीएसआर) प्रस्तावित करने व अनुमोदन की सूचना साफटवेयर पर दर्ज करना (दर सर्वेक्षण प्रस्तावक समिति की बैठक दिनांक एवं अनुमोदन दिनांक) (पत्र दिनांक 23.12.2015)
5. श्रम/सामग्री उपकरणों की बेसीक दरो का सुसगंत निर्धारण

कुपया बैठक में उक्त वांछित सूचनाओ/बिन्दुओ पर विस्तार से समीक्षा की जावेगी।

परियोजना अधिकारी (अभि).

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायत राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. सयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
4. परियोजना निदेशक एवंद पदेन उप सचिव (मो एवं मु), को प्रस्तावित बैटक के एजेंडा कार्यक्रम में सामील करने एवं वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु ।
5. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर , ग्रामीण विकास को पत्र विभागिय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परियोजना अधिकारी (अभि).